

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 639

दिनांक - 12.02.2025


प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 हरचन्द्रराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी लोल्टीहाइट बड़ा, उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।		1 गेनसिंह पुत्र चंदनसिंह वगैराह जाति राजपुत निवासी लोल्टीहाइट बड़ा, उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-719/2024

दिनांक- 06/02/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लोल्टी हाईट बड़ा पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 907/830 रकबा 2.2176 हेक्टर, खसरा संख्या 908/830 रकबा 6.8715 हेक्टर, खसरा संख्या 912/832 रकबा 9.8419 हेक्टर, खसरा संख्या 913/832 रकबा 3.2940 हेक्टर, खसरा संख्या 917/840 रकबा 5.7708 हेक्टर व खसरा संख्या 919/841 रकबा 0.8093 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)
उपखण्ड-अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 640-43

दिनांक- 12.02.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी उण्डखा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण हरचन्द्रराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी लोल्टीहाइट बड़ा, उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण गेनसिंह पुत्र चंदनसिंह वगैराह जाति राजपुत निवासी लोल्टीहाइट बड़ा, उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड-अधिकारी,
उपखण्ड-अधिकारी
बाड़मेर